



भारत में भूमिउपयोग



भारत में भूमि उपयोग

भूमि उपयोग

जिस प्रकार भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों (आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि) के लिये किया जाता है।

भूमि उपयोग पर डेटा को वार्षिक आधार पर नौ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

भूमि-उपयोग रिकॉर्ड

- बनाए रखा जाता है:
 - भू-राजस्व विभाग द्वारा
- मापा जाता है:
 - भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा
- संग्रह:
 - कुल भौगोलिक क्षेत्रफल-329 मिलियन हेक्टेयर (रिपोर्टिंग क्षेत्र)
 - उपलब्ध आँकड़े - 305 मिलियन हेक्टेयर (गैर-रिपोर्टिंग क्षेत्र)

कुल क्षेत्रफल का 7% भूमि उपयोग की 9 श्रेणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल या वर्गीकृत नहीं है।


9 स्तरीय वर्गीकरण:

- वन: वन-संबंधित कानूनों के अनुसार सभी प्रकार की वन युक्त भूमि, चाहे राज्य के स्वामित्व वाली या निजी हो अथवा वृक्षयुक्त या संभावित वन भूमि।
- गैर-कृषि उपयोग: इमारतों, सड़कों, रेलवे या जल स्रोत वाली भूमि।
- बंजर और अनुपयुक्त भूमि: इसमें पहाड़, रेगिस्तान आदि शामिल हैं।
- स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि: सभी चरागाह भूमि, चाहे चरागाह हों या नहीं।
- कृषि योग्य बंजर भूमि: भूमि कृषि के लिये उपलब्ध है लेकिन +5 वर्षों से उपयोग नहीं की गई है।
- परती भूमि (वर्तमान को छोड़कर): 1-5 वर्षों तक अस्थायी रूप से अप्रयुक्त।
- वर्तमान परती भूमि: फसली क्षेत्र चालू वर्ष में परती रखी गई भूमि।
- विविध. (पेड़, फसलें आदि): खेती योग्य भूमि 'बुवाई के शुद्ध क्षेत्र' में नहीं है, लेकिन कृषि के लिये उपयोग की जाती है।
- बोया गया शुद्ध क्षेत्र: फसलों और बगीचों सहित कुल क्षेत्रफल।

मुख्य पद

- भौगोलिक क्षेत्र: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के आँकड़ों को भारतीय महासर्वेक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
- रिपोर्टिंग क्षेत्र: ऐसा क्षेत्र जिसके लिये भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आंकड़े उपलब्ध हैं।
- सकल फसल क्षेत्र: एक वर्ष में एक या अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्र।
- एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र: एक वर्ष में कई फसलों की बुवाई वाली भूमि।
- सिंचित क्षेत्र: नहरों, तालाबों, कुओं आदि द्वारा सिंचित भूमि।
- कुल/सकल सिंचित क्षेत्र: लगभग सभी प्रकार की भूमि एक या अधिक बार सिंचित होती है।
- कुल/सकल असिंचित क्षेत्र: सिंचाई रहित क्षेत्र।
- फसलीय तीव्रता: कुल फसलीकृत क्षेत्र से निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात है।
- कृषि भूमि: इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, बंजर भूमि और बहुत कुछ शामिल है।
- कुल गैर-कृषि योग्य क्षेत्र: कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- कुल कृषि योग्य क्षेत्र: शुद्ध बोया गया क्षेत्र और वर्तमान परती भूमि।
- कुल गैर-कृषि क्षेत्र: कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कुल कृषिकृत क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

भारत में 2005-06 से 2020-21 तक भूमि उपयोग पैटर्न



Source: Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण

- बढ़ती जनसंख्या एवं विकासात्मक गतिविधियाँ
- कृषि विस्तार
- जलवायु परिवर्तन
- खनन
- भूमि अवक्रमण

